

10/03/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील हज्जतुल्लाह बहाल पेश करने हेतु हाजिर नहीं आये हैं। पर्याप्त प्रकल्प दिये जा चुके हैं। आज न्यायालय में वकील पक्षकारानु को पृथक-पृथक समय पर तीन-तीन बार आवाजे लगायीं गयीं। बाबुद आवाजे लगाये जाने पर श्री हाजिर नहीं आये हैं। नूर में श्री जवाब पेश नहीं होने पर जवाब बंद की कार्यवाही अफसल में लायी गयी है। अतः पत्रावली बखस बंद की जाकर अदम हाजिरी व अदम बंदगी में एतद्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार लेकर बंदगी से कम होकर काबिल कफतर है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर जैसे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर
साँभर लेक

